न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 126 / 2023 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
दायरा दिनांक: 6.7.2023
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. शोभाराम पुत्र द्वारकालाल जाति अहीर
2. विद्यासागर पुत्र द्वारकालाल जाति अहीर
3. लालचन्द पुत्र द्वारकालाल जाति अहीर

निवासीगण कोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 22 / 2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान शोभाराम वगेरा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी मे पारित निर्णय दिनांक 13.6.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 14.2.2022 को निर्णय पारित कर ग्राम कोला की भूमि खसरा संख्या 366 रकबा 0.32 है0 किस्म चरागाह पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर भूमि से बेदखली व राशि 100 / –शास्ति एंव 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 13.6.2022 को आंशिक स्वीकार की जाकर सर्शत रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.6.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमों एंव स्रग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ, विचारणीय न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर पश्चातवर्ती अतिकमी माना है जो कतई खिलाफ कानून है क्योंकि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है भविष्य मे अतिकमण नही करेगा एंव तावान की राशि जमा करादी गई है।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

विष्य मे अतिक्रमण नही करने, कब्जा छोडने संबंधी शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे देने को तत्पर है तथा अपील के साथ भी कब्जा छोडने संबंधी शपथ पत्र पेश कर रहा है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का कम पढा लिखा व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा नही दी गई इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे अपीलांट विचारण न्यायालय मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही कर पाने के कारण अपीलांट के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये गये। अपीलांट की उक्त त्रुटि सद्भाविक होने से क्षम्य है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पीडित पक्षकार को दण्डित नही किया जाना चाहिये। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर कब्जा छोडने बावत शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.6.2022 को संशोधित किया जाकर अपीलांट को शपथ पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुये विचारण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश दिनांक 14.2.2022 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ, विचारण न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून है क्योंकि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है भविष्य मे अतिक्रमण नही करेगा एंव तावान की राशि जमा करादी गई है। उक्त आशय का शपथ पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय मे देने को तत्पर है अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा नही दी गई इस कारण अपीलांट विचारण न्यायालय मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही कर पाने के कारण अपीलांट की गिर0 वारंट जारी कर दिये गये। अपीलांट की उक्त त्रुटि सद्भावी होने से क्षम्य है। अधिवक्ता की त्रुटि की लिये पक्षकार को दण्डित नही किया जाना चाहिये । अतः मे अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.6.2022 को संशोधित किया जाकर अपीलांट को शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये विचारण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश दिनांक 14.2.2022 निरस्त किया जावे।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया ।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को ग्राम कोला की भूमि खसरा नं0 366 की 0.32 है0 किस्म चरागाह पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखली व राशि 100/—रूपये शास्ति एंव 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के

अति. सं. आयुक्त
कोटा

दण्ड से दण्डित करने का दिनांक 14.2.2022 को निर्णय पारित किया गया जिसकी प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की प्रोपर तामील नही होने तथा अपीलार्थी द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दिया जाना तथा कब्जा नही होना अंकित करते हुये भविष्य मे उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नही करने बावत विचारण न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर तत्पर होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को निर्णय दिनांक 13.6.2022 से आंशिक स्वीकार कर इस आशय के साथ सशत रिमांड किया है कि " विवादित आराजी ख0 नं0 366 की रकबा 0.32 है0 किस्म चरागाह से कब्जा हटा लिया हो, तथा भविष्य मे कभी कब्जा नही करने बावत विचारण न्यायालय मे शपथ पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही होने की पुष्टि तहसीलदार स्वयं अथवा भू अभिलेख निरीक्षक से करावे, जिसमे यह साबित हो जाए की अपीलांट/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड दिया है तो 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा, यदि मौके पर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा। तसीलदार रामगंजमण्डी अपीलार्थी को नियमानुसार उक्त सजा भुगतायेगा। अन्य आदेश जुर्माना वगेरा यथावत रहेगा"। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गयी जिसमे उसका मुख्य तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा नही दी गई इस कारण आदेश की पालना मे अपीलांट विचारण न्यायालय मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही कर सका। अपीलांट की उक्त त्रुटि सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.6.2022 संशोधित करते हुये अपीलांट को शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। हस्तगत अपील प्रकरण मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा नही दी गई हो? जिसके कारण अपीलाधीन आदेश की पालना मे विचारण न्यायालय मे वह शपथ पत्र पेश नही कर पाया हो। समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलांट का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नही है अतः प्रथम अपीलीय न्यायलय का निर्णय न्यायोचित होने से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की गुजाइंश नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट खारिज योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० संभागीय. आयुक्त
कोटा